उपायुक्त का कार्यालय (जिला राजस्व शाखा) गिरिडीह।

गिरिडीह जिला के सरिया अंचल के अन्तर्गत 132/33 के.भी. ग्रीड सब–स्टेशन के निर्माण हेतु Deemed Forest भूमि (जंगल--झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) के संबंध में अनापत्ती प्रमाण पत्र।

गैरमजरूआ, जंगल Deemed Forest (जंगल–झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) भूमि जो निम्नवत है :--

क्र	वन भूमि का स्थल (प्रखण्ड)	जिला	वन प्रमण्डल	मौजा का नाम	थाना नं०	खाता नं0	प्लॉट नं०	रकबा (एकड़ में)	किस्म भूमि
1	सरिया	गिरिडीह	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल	बडकी सरिया टोला मलधनिया	64	300	4661	10.00	गैरमजरूआ खास, जंगल--झाड़ी

कुल रकबा 10.00 एकड़ में सन्नहित है तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत् हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेंन्सी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तान्तरण के प्रस्ताव की प्रकिया के तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। गैरमजरूआ, जंगल--झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सःशूल्क हस्तान्तरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यदेश निर्गत किया जायेगा।

उपायुक्त, गिरिडीह।

ज्ञापांक 1243 /रा० दिनांक 13/05/2015

प्रतिलिपि : महाप्रबंधक –सह– मुख्य अभियन्ता संचरण प्रक्षेत्र–V हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : विणुत अधीक्षण अभियन्ता संचरण प्रक्षेत्र–V हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

11/05/16

उपायुक्त, गिरिडीह।

13/8/16
Electrical Executive Engineer
Transmission Division
Hazaribagh

Manoj

PROPOSED 132/33 kV SARIYA GRID SUB-STATION

Vill - Mandhniya
P.S - Suriya - 44
Distt. - Giridih
Plot No. 466 1, Khata No. 200
Area : 10.0 acr (approx.)

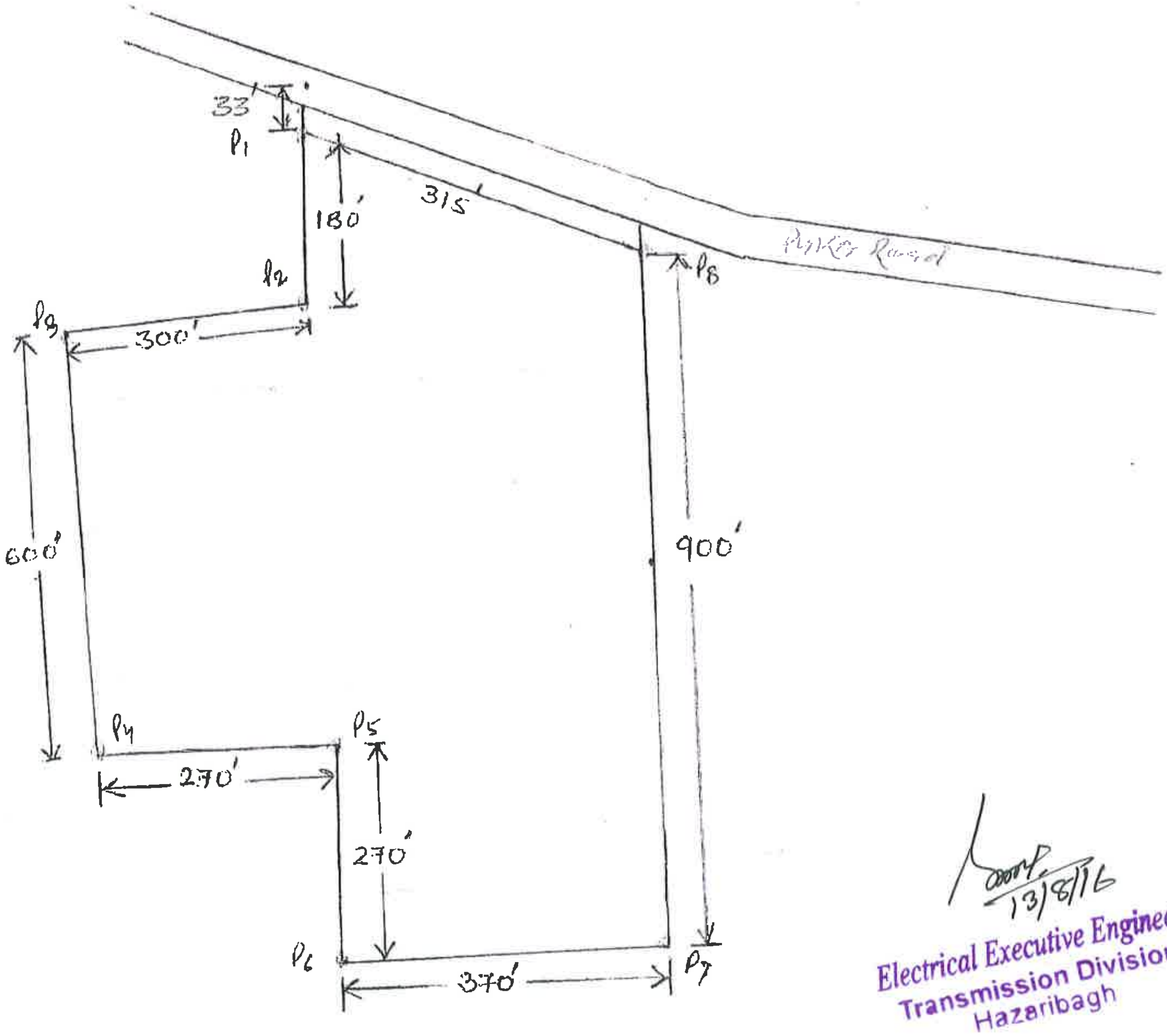

Sd/- 13/8/16
Electrical Executive Engineer
Transmission Division
Hazaribagh

Note :-
1) All measurements are in Feet (ft)
2)

FORM-II
(for project other than linear projects)
Government of Jharkhand
Office of the District Collector Giridih.

****

No. .... Dated.. ....

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC, (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted in for non-forest purposes, it is certified that **10.00 Acres** of forest land proposed to be diverted in favour of **Jharkhand Energy Transmission Corporation Ltd, Ranchi** (name if user agency) for **132/33 KV Grid Sub Station** (purpose for diversion of forest land) in **Giridih** district falls within Jurisdiction of **Barki Suriya Tola Mandhniya** village(s) in **Suriya** tehsils. Details of Land Noted Bellow.

S.No	Name of Anchal	Name of Village	Thana No.	Khata No.	Plot No.	Area of GM (JJ) (In Acre)
1	**Suriya**	Barki Suriya Tola Mandhniya	44	200	4661	10.00
		G Total				**10.00**

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **10.00 Acres** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure 9.

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular / local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA.

(c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities / processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of **Barki Suriya Tola Mandhniya** village (s) is enclosed as annexure 1 to annexure **3.**

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

13/8/16
Electrical Executive Engineer
Transmission Division
Hazaribagh

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and Gram Sabhas have given their consent to it;

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl.: As above.

Sd-

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

Giridih.

Memo No.....571.../(Wel)Date..10.5.2016

Copy To

1. Electrical Executive Engineer, Transmission Division. Hazaribag for necessary action.
2. Additional Collector, Giridih for information & necessary action.
3. Divisional Forest Officer Hazaribag East Division for Information & necessary action.
4. Commissioner North Chhotanagpur Division Hazaribag for information & necessary action.
5. Special Secretary to Government Revenue and Land Reform Deptt. Jharkhand Ranchi for information & necessary action.
6. Secretary to Government Welfare Deptt. Jharkhand Ranchi for information & necessary action.

10/05/16

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

13/8/16

Electrical Executive Engineer
Transmission Division
Hazaribagh

दिनांक 10.05.2016 को उपायुक्त, गिरिडीह की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति – पंजी के अनुसार।

अनुमण्डल पदाधिकारी बगोदर सरिया के पत्रांक 823 दिनांक 03.05.2016 एवं पत्रांक 824 दिनांक 03.05.2016 के द्वारा कमशः नव सृजित अनुमण्डल कार्यालय, बगोदर–सरिया के भवन निर्माण तथा अंचल सरिया के अन्तर्गत मौजा बड़की सरिया टोला मंधनियां में 132/33 KV सब स्टेशन का निर्माण हेतु अनुमण्डल स्तरीय एवं ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही प्राप्त हुआ है जिसमें प्राप्त प्रस्ताव निम्न प्रकार हैं –

क0	अंचल का नाम	ग्राम का नाम	थाना नं0	खाता नं.	प्लॉट	गैरमजरूआ खास किस्म जंगल भूमि रकवा (एकड़ में)
1	2	3	4	5	6	7
1	सरिया	मंदरामों	45	110	2420, 2245 2245	5.93 1.40 0.52
					कुल	7.85
2	सरिया	बडकी सरिया टोला मंधनियां	44	200	4661	10.00
					कुल	10.00

समिति द्वारा अनुमण्डल स्तरीय एवं ग्राम सभा की कार्यवाही का अवलोकन के पश्चात सर्वसम्मति से नव सृजित अनुमण्डल कार्यालय, बगोदर–सरिया के भवन एवं रास्ता तथा बड़की सरिया टोला मंधनियां में 132/33 KV सब स्टेशन का निर्माण हेतु प्रस्तावित गैरमजरूआ खास किस्म जंगल भूमि का अपयोजन के लिए अनापति प्रमाण पत्र निर्गत की स्वीकृति प्रदान किया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

जिला कल्याण पदाधिकारी, गिरिडीह।

वन प्रमण्डल पदा0, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल। 10/05/16

वन प्रमण्डल पदा0, गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल। 10/5/16

वन प्रमण्डल पदा0, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल।

उपायुक्त, गिरिडीह। 10/05/16

Marandi 10/5/16
जिला परिषद सदस्य
पीरटांड़

Member 10/05/16
जिला परिषद सदस्य
पीरटांड़

13/8/16
Electrical Executive Engineer
Transmission Division
Hazaribagh

Frc proceeding 12-01-2016 docx

कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

पत्रांक 824 / (19)

प्रेषक,

अनुमंडल पदाधिकारी,
बगोदर-सरिया।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी,
गिरिडीह।

बगोदर-सरिया, दिनांक 03/05/2016

विषय :- अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति में पारित 132/33 के0भी0 गिरिडीह सब स्टेशन के निर्माण हेतु वन भूमि पर अनापत्ति निर्गत करने से संबंधित अभिलेख का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि बगोदर-सरिया अनुमंडल अन्तर्गत सरिया अंचल से प्राप्त अभिलेख 132/33 के0भी0 गिरिडीह सब स्टेशन के निर्माण हेतु वन भूमि पर अनापत्ति निर्गत करने हेतु अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक कर अनुशंसा के पश्चात अभिलेख पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनुलग्नक : कुल 01 अभिलेख।

विश्वासभाजन

अनुमंडल पदाधिकारी
बगोदर-सरिया।

13/8/16
Electrical Executive Engineer
Transmission Division
Hazaribagh

D:\Letter\SDO Letter.docx
951

अभिलेख उपस्थापित।

अंचल अधिकारी सरिया से वन अधिकार अधिनियम 2006 नियम 2008 की धारा 5 के उपधारा (1) के अंतर्गत 132/33 के0भी0 गिरिडीह सब स्टेशन के निर्माण हेतु सामुदायिक उपयोग के लिए उपरोक्त वर्णित भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा प्राप्त है। आवेदक के दावे की समीक्षा अनुमंडल वनाधिकार समिति द्वारा दिनांक 03.05.2016 को आयोजित बैठक में की गई तथा सर्व सम्मति से 132/33 के0भी0 गिरिडीह सब स्टेशन के निर्माण को मौजा बड़की सरिया थाना नं0 44 खाता नं0 200 प्लॉट नं0 4661 रकवा 10 एकड़ किस्म जंगल झाड़ी भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा सहित अभिलेख जिला वनाधिकार समिति को भेजने का निर्णय लिया गया।

अतः अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु जिला स्तरीय वनाधिकार समिति गिरिडीह को भेजें।

लेखापित

अनुमंडल पदाधिकारी
बगोदर–सरिया।

अनुमंडल पदाधिकारी
बगोदर–सरिया।

13/8/16

Electrical Executive Engineer
Transmission Division
Hazaribagh

<u>वन अधिकारों की मान्यता नियम 2008 के परिप्रेक्ष्य में सरिया प्रखण्ड अंतर्गत 132/33 के0भी0 गिरिडीह सब स्टेशन निर्माण हेतु ग्राम सभा से प्राप्त दावा पर मान्यता हेतु अनुशंसा के निमित अनुमंडल स्तरीय बैठक की कार्यवाही :-</u>

<u>उपस्थिति पंजी के अनुसार :-</u>

1. सरिया प्रखण्ड के मौजा बड़की सरिया आवेदक द्वारा 132/33 के0भी0 गिरिडीह सब स्टेशन के निर्माण हेतु सामाजिक दावा पर वनाधिकार समिति द्वारा जाँच की गई। वनाधिकार समिति की अनुशंसा ग्राम सभा से अनुमोदित है। प्राप्त दावा पर अभिलेख सृजित किया गया जिसका अभिलेख संख्या ..../2015-16 है। वनाधिकार समिति द्वारा प्रश्नगत भूमि के थाना नं0 44 खाता नं0 200 प्लॉट नं0 4661 रकवा 10 एकड़ पर सामाजिक दावा संपुष्ट करने की अनुशंसा की गई। प्रश्नगत भूमि खतियान में गैरमजरूआ खास किस्म जमीन जंगल दर्ज है। हल्का कर्मचारी द्वारा भी पात्रता रखने की संपुष्टि की गई है। इसका नजरी नक्शा संलग्न है। अनुमंडल स्तरीय समिति इस दावा की संपुष्टि की अनुशंसा करती है।
   (अभिलेख संख्या ..../2015-16/सरिया संलग्न है)

3/05/16				
प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी	वन अधिकारी	सहायक वन संरक्षक	सहायक वन संरक्षक	अनुमंडल पदाधिकारी
बगोदर	या	हजारीबाग	गिरिडीह	बगोदर-सरिया
	समतुल्य अधिकारी			

मीना देवी		अन्नत कुमार सिंह
मीना देवी	बुधन सोरेन	अन्नत कुमार सिंह
सदस्य।	सदस्य।	सदस्य।

13/8/16
Electrical Executive Engineer
Transmission Division
Hazaribagh